पत्रांक –3 /सी०– 68/2018सा०प्र० 5545 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन अत्यावश्यक

प्रधान सचिव/सचिव,
निर्वाचन विभाग/गृह विभाग (विशेष शाखा एवं आरक्षी शाखा)/ग्रामीण विकास विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/पर्यटन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण/परिवहन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/कृषि विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 26/4/2018

विषयः– सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 2454/2018 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–27.03.2018 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन हेतु आहूत बैठक के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–4709 दिनांक–09.04.2018 एवं 4710 दिनांक–09.04.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 2454/2018 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक– 27.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

" However, before proceeding to decide the issue in question, we direct the Chief Secretary of the State of Bihar to nominate an officer on his behalf to file an affidavit before this Court and clarify the position by referring to the procedure followed in various other departments in the State of Bihar and indicate to this Court as to whether the contention of the petitioners as detailed hereinabove are correct or not. The Chief Secretary shall refer to various departments and indicate to this Court the procedure followed in the matter of grant of weightage to employees who want to particulate in the process of selection and who have experience of working on contract basis. Referring to various departments, the system followed should be indicated in the affidavit. That apart, the affidavit shall also clarify as to whether the policy as contained in Annexure-1 dated 21.05.2013 is being followed uniformally even now in other departments and if so why a deviation is done in the advertisement in question.

Let an affidavit clarifying the entire position be filed by the officer nominated by the Chief Secretary within four weeks from today. In the meanwhile, the process of selection up to the stage of allocation of final marks for various components of the selection process may go on but final result shall not be published without leave of the Court.

List after four weeks."

2. **उक्त आदेश के अनुपालनार्थ इस आशय की सूचना की आवश्यकता है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्गों के विनियंत्रण हेतु प्रवृत्त सेवा/संवर्ग नियमावली में नई नियुक्ति हेतु उस पद पर पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजन के आधार पर कार्य कर चुके कर्मियों को weightage दिये जाने का प्रावधान किया गया है अथवा नहीं? यदि weightage दिये जाने का प्रावधान नहीं किया गया हो तो इस संबंध में भी वस्तु–स्थिति स्पष्ट किया जाय।**

3. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 8025 दिनांक– 21.05.2013 की कंडिका–2(i) द्वारा नियमित नियुक्तियों में वर्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को weightage पर विचार करने और आयु सीमा को नियमानुसार शिथिल करने हेतु संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में तदनुसार संशोधन करने के उपरान्त ही नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजे जाने का प्रावधान किया गया है।

4. **उपर्युक्त कंडिका–2 से संबंधित विभागीय प्रतिवेदन दिनांक–13.04.2018 को आहूत बैठक में उपलब्ध कराये जाने का निदेश प्रसंगवर्णित पत्रों द्वारा दिया गया, परन्तु निर्धारित बैठक में आपके विभाग से संबंधित उक्त वर्णित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।**

5. उल्लेखनीय है कि प्राप्त प्रासंगिक प्रतिवेदन के आधार पर ही मुख्य सचिव के पक्ष में विषयांकित वाद में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना है। अतः निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर इसे माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जायेगा।

7. अतः पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–2 से संबंधित विभागीय प्रतिवेदन के साथ **दिनांक–09.05.2018 को अपराह्न 03:30 बजे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में भाग लेने** हेतु किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

26/4/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव